07/08/2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित। विपक्षी उपस्थित नहीं। प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। प्रकरण में दिनांक 06.08.2020 को जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा को आदेशित किया गया कि प्रकरण में विपक्षी से जब्तशुदा 3 कट्टे गेहूँ वजन 150 किलोग्राम को जरिये नीलामी कार्यवाही कर राशि राजकोष में अमानत मद में जमा करावें। आदेश की पालना में जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 16.08.2020 को 2325/- रूपये राजकोष में जमा करा दी गयी रसीदन पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी को प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (शिवप्रसाद एम. नकाते) जिला कलक्टर भीलवाड़ा जिला कलक्टर भीलवाड़ा